

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
-मंत्रालय:-
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 17-03/2013/20-एक,
प्रति.

नया रायपुर, दिनांक 17/05/2016

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।

विषय- मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कुकिंग कास्ट की दर में वृद्धि बाबत।

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक/म.भो./कु.का.में वृद्धि/2015/2040, दिनांक 14.01.2016।

राज्य शासन एतद् द्वारा संदर्भित प्रस्तावानुसार भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश क्र. F.11-1/2011-Desk(MDM), दिनांक 01.01.2016 के अनुसार कुकिंग कास्ट की दर में वृद्धि करते हुए दिनांक 01.07.2015 से निम्नानुसार दरें हेतु स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	शाला का स्तर	केंद्रांश	राज्यांश	योग (राशि रुपये में)
1	प्राथमिक शाला	2.32	2.10	4.42
2	ऊपर प्राथमिक शाला	3.47	2.31	5.78

2/ यह स्वीकृति हेतु सहमति वित्त विभाग के F 2016-20-00653/B-3/चार, दिनांक 27.04.2016 के द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

S. Singh

(सुरेन्द्र सिंह बांधे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ राज्यपाल के नाम से



लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर

फोन नम्बर- 0771-2511191, Email-Id-dpi.mdm@gmail.com



क्रमांक/म.भो./कु.का. में वृद्धि/2015/3127 रायपुर, दिनांक 27/05/2016
प्रतिलिपि :-

1. श्री गया प्रसाद संचालक, भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग उनके आदेश क्रमांक F 2016-20-00653/B-3/चार, दिनांक 27.04.2016 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. सचिव, छोगो शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर
5. समस्त कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी / जिला कोषालय अधिकारी, छोगो की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1/20/5/116

संचालक
लोक शिक्षण, छोगो